UPAD010013402026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, ई.सी. ऐक्ट, प्रयागराज।
{उपस्थितः– रवि कांत ।।, उच्चतर न्यायिक सेवा}
J.O.CODE– UP6427
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–547/2026

मो0 जैद पुत्र स्व0 नसीम उद्दीन, निवासी रूदापुर मलाक हरहर थाना फाफामऊ, प्रयागराज।
. ...आवेदक/अभियुक्त,

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..............................अभियोगी,
मु0 अ0 सं0–123/2024
धारा–191(1),191(3),190,352,103(1), 61(2)ए बी.एन.एस.
थाना–बहरिया, जनपद–प्रयागराज।

दिनांक–12.03.2026

1. आवेदक/अभियुक्त मो0 जैद की ओर से अपराध संख्या– 123/2024 धारा– 191(2),191(3),190,352,103(1),61(2)क बी0एन0एस0 2023 थाना बहरिया, प्रयागराज के मामले में अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा रामा यादव द्वारा दिनाँक 31.07.2024 को थाना बहरिया में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी कि दिनाँक 31.07.2024 को समय लगभग 02.15 मिनट पर मेरा बेटा मुलायम यादव अपने मित्रगण सुरेन्द्र यादव, जितेन्द्र यादव (बी0डी0सी0), शीशकान्त यादव, आलोक व करन के साथ धमौर चैराहे पर था तभी विपक्षीगण जो दबंग और शोरेपुस्त व्यक्ति हैं, अभिषेक यादव अपने हाथ में राईफल लिये था, गजराज यादव हाथ में राईफल लिए था, राहुल यादव जिसके हाथ में अवैध तमन्चा व गणेश यादव बसरही हाथ में डंडा, धर्मेन्द्र तिवारी उर्फ मंटू हाथ में डंडा लिए हुए थे। राहुल पासी व चन्द्रसेन यादव के हाथ में हाकी थी, बीरसेन यादव हाथ में डंडा व मो0 जैद व मो0 उस्मान अपने हाथ में अवैध पिस्टल लिए थे, आये और आते ही सुरेन्द्र से पुरानी जमीन के विवाद को लेकर सुरेन्द्र के साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगे। इसपर सुरेन्द्र द्वारा विरोध करने पर अभिषेक यादव ने राईफल से मुलायम यादव के सीने पर फायर किया, जिससे मुलायम यादव मौके पर गिरकर तड़पने लगा तथा गजराज यादव ने राईफल से जितेन्द्र के ऊपर फायर किया जिससे जितेन्द्र के जाँघ में गोली लगी और जितेन्द्र वहीं पर गिर गया। बाकी अन्य लोगों ने जान से मारने की नियत से फायर किया और लाठी डंडों से वाहन पर प्रहार किया। मेरा बेटा मुलायम और जितेन्द्र को इलाज के लिए लेकर जाते समय मेरे बेटे मुलायम की रास्ते में ही मृत्यु हो गयी और जितेन्द्र इस समय स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती है जिसका इलाज चल रहा है।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के अनुक्रम में तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके पूर्व न तो माननीय न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में कोई अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र न तो खारिज हुआ है न विचाराधीन है। अभियोजन कथन है कि आवेदक अपने हाथ में अवैध पिस्टल लिये थे। प्रार्थी के पास से किसी अवैध पिस्टल की बरामदगी नहीं की गयी है। अभियोजन कथानक बिल्कुल निराधार है। केवल प्रार्थी को फर्जी तरह से मुकदमें में फंसाने के लिये कहा गया है। प्रार्थी को न तो अभियोजन की तरफ से न ही किसी गवाह ने प्रार्थी के विरूद्ध कोई कथन नहीं किया है न ही प्रार्थी का इस घटना में कोई रोल बताया है। मृतक अथवा घायल के शररीर पर पिस्टल की कोई चोट नहीं है न ही घटना के विवेचक द्वारा घटनास्थल पर किसी वाहन को क्षतिग्रस्त पाया गया। घायल जितेन्द्र यादव का बयान धारा 180 बी.एन.एस.एस. में दर्ज नहीं किया गया है। इस मुकदमें के वादी ने घटना के विवेचक को, सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर के माध्यम से एक शपथपत्र देकर लिखित रूप में बताया कि इस घटना में मैं वादी कुछ लोगों के बहकावे में आ करके मो0 जैद को नामित सह अभियुक्त बनाया था लेकिन मुझे बाद में जानकारी हुयी कि मो0 जैद इस घटना में सम्मिलित नहीं था। इसलिये मैं वादी बिना किसी जोर दबाव के अपनी खुशी से अपने पूरे

होशो हवास में यह लिखित शपथपत्र दे रहा हूँ कि मो0 जैद का नाम मेरे द्वारा दिये गये शपथपत्र के आधार पर मुकदमें से नाम विरक्त कर दिया जाये। प्रार्थी से समाज के कुछ लोग बैर रखते हैं, जिस कारण वादी मुकदमा को प्रार्थी के विरूद्ध फर्जी मुकदमें में फंसाने हेतु उकसा दिये जाने के कारण वादी मुकदमा ने उन लोगों के बहकावे में आकर प्रार्थी का नाम घटना की तहरीर में लिखा दिया है। प्रार्थी बिल्कुल निर्दोष है। उसे पुलिस किसी भी समय गिरफ्तार कर जेल भेज सकती है। उसने घटना के विवेचक को अपना पूरा सहयोग प्रदान किया है। वह न तो किसी साक्ष्य से छेड़छाड करेगा न ही गवाहों को डाराये, धमकायेगा। उसने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है तथा न ही वह सजायाफ्ता नहीं है। वह अपनी उचित जमानतें देने को तैयार है। अतः दौरान विचारण अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं वादी की ओर से उपस्थित व्यक्तिगत अधिवक्ता द्वारा जमानत का विरोध करते हुये कथन किया गया है कि प्रकरण हत्या जैसे संगीन अपराध से संबंधित है। इसी मामले में अन्य सह अभियुक्तगण की जमानत सत्र न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी है। अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तथा वादी की ओर से उपस्थित व्यक्तिगत अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में रामा यादव द्वारा अभियुक्त गणेश यादव को नामित करते हुये मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ वादी मुकदमा के पुत्र मुलायम यादव को जान से मारने की नियत से फायर करने, जिससे मृलायम यादव की मृत्यु होने संबंधी आक्षेप लगाये गये हैं तथा जितेन्द्र के जाँघ में गोली लगी है। केस डायरी के पर्चा सं0–2 में अवलोकन पंचायतनामा में मुलायम यादव को खून आलूदा निम्नलिखित चोटें होना दर्शित किया गया है–

"1. Abraded contusion 02cmX01cm at left side of forehead, just above left eyebrow
2. Abraded contusion 03cmX02cm at left side of face, just lateral to left eye.
3. Firearm entry wound 02cmX02cmXabdominal cavity deep at front of centre of chest, just above epigastriun, Color abrasion present around wound, margin inverted. 4. Firearm exit wound 03cmX02cmXabdominal cavity deep present at right flank region 13 cm behind right anterior superior iliac spine. Margin of wound everted. On probing injury no 03, communicated with injury no 04 and direction of bullet is downward, right and backward". पोस्टमार्टमकर्ता द्वारा मृत्यु का तात्कालिी कारण "Hemorrhagic shock to antemortem injury." अंकित है।

7. अभियोजन की ओर से साक्षियों द्वारा पुलिस को दिये गये बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुये अभियुक्त के विरूद्ध साक्ष्य दिया गया है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अभियुक्त एफ0आई0आर0 में नामजद है और अभियोजन द्वारा कुल 04 मामलों का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त मो0 जैद द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं0–547/2026, मु0अ0सं0–123/2024, अन्तर्गत धारा–191(2), 191(3), 190, 352, 103(1), 61(2)क बी0एन0एस0 थाना बहरिया, प्रयागराज निरस्त किया जाता है।

दिनांक–12.03.2026

(रवि कांत–II)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट), प्रयागराज।
J.O.CODE– UP6427